



2026:AHC-LKO:7618-DB

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ**

रिट - सी संख्या - 12461 सन 2025

विनय प्रताप सिंह

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

भारत संघ द्वारा सचिव विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली
एवं अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	अरशद सिद्दीकी
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऑफ़ इंडिया

न्यायालय संख्या - 1

**माननीय न्यायमूर्ति राजन राय
माननीय न्यायमूर्ति अब्देश कुमार चौधरी**

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को तथा श्री एस.बी. पांडे, विद्वान उप सॉलिसिटर जनरल ऑफ़ इंडिया एवं वरिष्ठ अधिवक्ता को प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री वरुण पांडे की सहायता से एवं राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।

2. यह याचिका निम्नलिखित मुख्य राहतों की मांग करते हुए दायर की गई है:-

"i. उत्प्रेषण की रिट, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, लखनऊ द्वारा दिनांक 03.12.2025 को पारित आक्षेपित आदेश/सूचना को रद्द करने के लिए जारी की जाए, जो अनुलग्नक संख्या-1 में शामिल है।"

ii. परमादेश की रिट, प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता का पासपोर्ट तत्काल बहाल करने और जारी करने के लिए निर्देश देने हेतु न्याय के हित में जारी की जाए।"

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध दो आपराधिक मामले लंबित हैं, लेकिन याचिकाकर्ता के अनुसार, उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। आदेशों की प्रतियां इस रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 3 और 4 के रूप में संलग्न हैं।

4. इसमें कोई संदेह नहीं है कि दिनांक 03.12.2025 के आक्षेपित आदेश में पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 10 के तहत पासपोर्ट जब्त करने से पहले याचिकाकर्ता को कोई कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने का उल्लेख नहीं है, लेकिन चूंकि याचिकाकर्ता ने दो आपराधिक मामलों के लंबित होने की बात स्वीकार की है, इसलिए यह अपने आप में हमें इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित नहीं करता है। इसके अलावा, इस न्यायालय के अनेक निर्णयों में, जिनमें **श्रीमती रश्मी कपूर बनाम भारत संघ और अन्य (रिट-सी संख्या 3617/2022 दिनांक 21.06.2022)** का मामला भी शामिल है, ऐसी स्थिति में भी याचिकाकर्ता को उस उच्च न्यायालय से अनुमति या स्वीकृति प्राप्त करनी होगी जहां उक्त निर्णय के मद्देनजर रिट याचिका में संदर्भित आपराधिक मामले से संबंधित धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यवाही लंबित है।

5. तदनुसार, हम **श्रीमती रश्मी कपूर (उपरोक्त)** मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार, उपर्युक्त स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए इस याचिका का **निस्तारण** करते हैं।

6. यदि संबंधित न्यायालय द्वारा ऐसी कोई अनापत्ति या स्वीकृति प्रदान की गई है, तो उसे क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है, जो दिनांक 03.12.2025 के आदेश की समीक्षा करने के लिए बाध्य होंगे। हालांकि, यदि अनापत्ति या स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है, तो स्थिति निश्चित रूप से भिन्न होगी।

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन राय]

फरवरी 2, 2026

अनुज सिंह

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।